सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

28 फरवरी, 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय,

पटना ।

सप्तदश विधान सभा शुक्रवार, तिथि 28 फरवरी, 2025 ई0

चतुर्दश सत्र 09 फाल्गुन, 1946 (शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय–11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

माननीय सदस्यगण, अब राष्ट्रगान होगा, कृपया अपने–अपने स्थान पर खड़े हो जायं ।

(राष्ट्रगान)

प्रारंभिक संबोधन

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण,

श्री सत्यदेव राम : महोदय, अप्रवासी भारतीय मजदूरों...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी यह समय नहीं है । बैठ जाइये । बैठ जाइये ।

सर्वप्रथम, मैं आप सभी का इस महत्वपूर्ण बजट सत्र में स्वागत करता हूँ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिए । बैठ जाइये । पहले आप बैठ जाइये । यह आप गलत कर रहे हैं । यह तरीका नहीं है ।

सर्वप्रथम मैं आप सभी का इस महत्वपूर्ण बजट सत्र में स्वागत करता हूं। एक माह तक चलने वाला यह सत्र बिहार के आर्थिक, सामाजिक और विकास संबंधी नीतियों के निर्धारण का एक महत्वपूर्ण मंच होगा ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, बात नहीं करिए ।

हमारी जिम्मेदारी है कि इस सत्र को सार्थक और उपयोगी बनाएं, ताकि प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके ।

यह सत्र मुख्य रूप से बजट प्रस्तावों, राज्य की वित्तीय स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं विकास संबंधी अन्य विषयों पर केंद्रित रहेगा ।

विधान सभा लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, जहां जनहित से जुड़े विषयों पर गहन विचार–विमर्श होता है । मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि सदन की मर्यादा और गरिमा को बनाये रखें । स्वस्थ बहस और तर्क–वितर्क लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन यह आवश्यक है कि चर्चा मर्यादित और परिणामपरक हो । मैं सभी सदस्यों से अपील करता हूँ कि वे अपने बहुमूल्य सुझाव और विचार सदन में रखें ताकि जनहित में ठोस निर्णय लिए जा सकें । साथ ही मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे सदन में अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखें । किसी भी मुद्दे पर असहमति को तर्कसंगत और मर्यादित भाषा में प्रस्तुत किया जाए, जिससे सदन की गरिमा बनी रहे ।

माननीय सदस्यगण, पिछले दिनों बिहार में विधायी निकायों का सबसे बड़ा सम्मेलन यहाँ सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ । आप सबकी सहभागिता ने इसे ऊंचाई प्रदान की । संवैधानिक मूल्यों और उन्हें आम जन तक पहुँचाने में विधान सभा की भूमिका पर विमर्श हुए । विधायी संस्थाओं में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर सर्वसम्मति बनी । राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने–अपने राज्यों की संसदीय प्रक्रियाओं को साझा किया । परिणाम काफी पॉजिटिव रहा ।

मैं माननीय मुख्यमंत्री और राज्य सरकार को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उनके सहयोग से यह आयोजन बिना किसी बाधा के पूर्ण हुआ । बिहार की छवि पूरे देश में निखरी है । मुझे देश के विभिन्न राज्यों से पत्र आ रहे हैं । सभी बिहार की भूरि–भूरि प्रशंसा कर रहे हैं ।

मैं इस सदन में मौजूद राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के सात नए माननीय मंत्रीगण का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ और आशा करता हूँ कि अपनी नई भूमिका में वे सदन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे । साथ ही, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि सदन में प्रक्रिया नियमावली के तहत अपनी बातों को उठाएं । मैं सभी सदस्यों की बात सुनूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि

सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले । मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सत्र संचालन में मुझे आप सबका भरपूर सहयोग मिलेगा ।

माननीय सदस्यगण, अब कल तो सदन की बैठक नहीं है और कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, इसलिए मैं एक दिन पूर्व ही अपनी और सदन की ओर से उन्हें जन्मदिन की एडवांस बधाई देता हूँ और अपनी हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ । धन्यवाद ।

माननीय सदस्यगण, अब से कुछ देर बाद यानी 11.30 बजे विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के एक साथ समवेत बैठक में महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा । महामहिम राज्यपाल महोदय का स्वागत करने और उन्हें सेंट्रल हॉल तक लाने के लिए मैं विस्तारित भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर जाउंगा । माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग भी इस हेतु निर्धारित स्थल पर जायेंगे । इस बीच आप सभी माननीय सदस्य तुरंत चलकर सेंट्रल हॉल में अपना–अपना स्थान ग्रहण करेंगे ।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के पश्चात् पुनः इस सभा वेश्म में आज के निर्धारित शेष कार्य होंगे ।

अतः आप सभी माननीय सदस्यगण अभिभाषण समाप्त होने के तत्काल बाद सेंट्रल हॉल से आकर इस सदन में अपना–अपना स्थान पुनः ग्रहण कर लेंगे ।

अब आगे की कार्यवाही सेंट्रल हॉल में होगी ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय महामहिम राज्यपाल महोदय को लाने गये)

(सेंट्रल हॉल में हुई कार्यवाही)

(इस अवसर पर सेंट्रल हॉल में महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सभापति महोदय का आगमन)

(राष्ट्रधुन)

सभा सचिव : महामहिम राज्यपाल महोदय, बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यगण यहां एकत्रित हैं । अतएव आपसे अनुरोध है कि अभिभाषण देने की कृपा की जाय ।

(महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण)

सत्यमेव जयते

भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अधीन
बिहार विधान-मंडल के दोनों सदनों के एक साथ समवेत
अधिवेशन में
बिहार के माननीय राज्यपाल

श्री आरिफ मोहम्मद खां

का

अभिभाषण

28 फरवरी, 2025

बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्यगण,

मैं नव वर्ष के प्रथम सत्र के अवसर पर बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में आप सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ तथा राज्य की खुशहाली एवं बहुआयामी विकास की कामना करता हूँ। इस सत्र में वित्तीय, विधायी एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न होने हैं। मैं बिहार विधान मंडल के सभी सदस्यों से बिहार के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपेक्षा करता हूँ। आपके बहुमूल्य सुझावों एवं सकारात्मक विमर्श से बिहार की प्रगति को बल मिलेगा।

24 नवम्बर, 2005 को नई सरकार बनने के बाद राज्य में कानून का राज है तथा लगातार विकास का काम हो रहा है। राज्य सरकार ने हमेशा सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है जिसका अर्थ है सभी क्षेत्रों का विकास एवं सभी वर्गों का उत्थान। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पेयजल आदि क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया गया है। अब किसी तरह के डर एवं भय का वातावरण नहीं है तथा राज्य में प्रेम, भाईचारे एवं शांति का माहौल है।

राज्य में कानून का राज बनाये रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि–व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है। हर थाने के कार्य को दो हिस्सों (1) केसों का अनुसंधान **(Investigation of Cases)** एवं (2) विधि–व्यवस्था संधारण **(Maintenance of Law & Order)** में बांटा गया है तथा पुलिस कर्मियों एवं पदाधिकारियों को अलग–अलग जिम्मेदारी दी गयी है, ताकि ठीक ढंग से कार्रवाई हो सके। पुलिस के लिए वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

24 नवम्बर, 2005 को नई सरकार बनने के समय बिहार पुलिस में कार्यरत बल की संख्या काफी कम थी। उस समय मात्र 42 हजार 481 पुलिसकर्मी कार्यरत थे। वर्ष 2006 से कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए पुलिस बल की संख्या में बढ़ोत्तरी की गयी। वर्तमान में राज्य में पुलिस बल की संख्या बढ़कर लगभग 1 लाख 10 हजार हो गयी है जिसमें से 30 हजार से भी अधिक महिलायें हैं तथा बिहार में पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक है। इसके अलावा पुलिस के कुल 21 हजार 391 रिक्त पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सरकार ने तय किया है कि पुलिस बल की संख्या को और बढ़ाना है। इसके लिए 2 लाख 27 हजार से भी अधिक नये पदों का सृजन कर तेजी से पुलिस कर्मियों की बहाली की जा रही है।

विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में बड़ी संख्या में नये थानों की स्थापना की गयी है। 24 नवम्बर, 2005 को नई सरकार बनने के समय राज्य में कुल 814 थाने थे जिनकी संख्या अब बढ़कर 1 हजार 380 हो गयी है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए **डायल–112** की इमरजेंसी सेवा प्रारंभ की गयी है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति

जैसे – अपराध की घटना, आग लगने की घटना, वाहन दुर्घटना की स्थिति में या महिलाओं, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित स्थिति में बिहार के किसी भी कोने से कोई भी पीड़ित व्यक्ति सहायता के लिए 112 नंबर पर निःशुल्क कॉल कर सकता है। पहले यह व्यवस्था जिला मुख्यालयों एवं शहरी क्षेत्रों में लागू थी तथा अब इसका विस्तार पूरे राज्य में किया गया है।

राज्य में सामाजिक सौहार्द्र एवं साम्प्रदायिक सद्भाव का माहौल कायम है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी की योजना शुरू की गयी है, जिसमें राज्य के मिली–जुली आबादी के इलाकों वाले एवं अन्य संवेदनशील कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा रही है। पहले 8 हजार से ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है तथा बाद में 1 हजार 273 कब्रिस्तानों को और चिन्हित किया गया है। इनमें से 746 कब्रिस्तानों की घेराबंदी पूर्ण हो गयी है तथा शेष का काम भी जल्दी ही पूरा हो जायेगा।

इसी तरह से वर्ष 2016 से धार्मिक न्यास पर्षद् में निबंधित 60 वर्ष से पुराने हिन्दू मंदिरों की घेराबंदी भी की जा रही है जिससे मंदिरों में यदा–कदा मूर्ति चोरी एवं साम्प्रदायिक आदि घटनाओं से बचा जा सके। इसके अन्तर्गत अबतक 518 मंदिरों की चहारदीवारी पूर्ण की जा चुकी है। अब आवश्यकतानुसार 60 वर्ष से कम समय से स्थापित मंदिरों की चहारदीवारी भी करायी जाएगी। अब समाज में आपस में कोई झगड़ा नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा शुरू से ही शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। बड़ी संख्या में नये स्कूल खोले गये हैं। विद्यालयों में एक ओर जहाँ पोशाक, साईकिल, छात्रवृत्ति एवं अन्य कई योजनाएँ लागू की गई, वहीं दूसरी ओर नये विद्यालय भवन, क्लास रूम, शौचालय एवं चहारदिवारी आदि बनाकर विद्यालयों की आधारभूत संरचना को मजबूत किया गया है। बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसी का परिणाम है कि इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक हो गयी है।

24 नवम्बर, 2005 में नई सरकार बनने के बाद से ही बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की गयी है। वर्ष 2022 तक लगभग 3 लाख 68 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की गयी। इसके बाद दो चरणों में 2 लाख 17 हजार 272 नये सरकारी शिक्षकों की बहाली की जा चुकी है जिसमें लगभग 28 हजार नियोजित शिक्षक भी पास हुए हैं। तीसरे चरण का भी परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें शिक्षक के नये पदों पर 66 हजार 800 अभ्यर्थी तथा हेड मास्टर के नये पदों पर 42 हजार 918 अभ्यर्थी पास हुए हैं। कुछ ही दिनों में इन सभी की नियुक्ति हो जायेगी। साथ ही सरकार द्वारा पहले से नियुक्त नियोजित शिक्षकों को साधारण सक्षमता परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जा रहा है तथा इसके लिए उन्हें 5 अवसर दिये जा रहे हैं। इसके अंतर्गत अब तक दो बार में 2 लाख 53 हजार 961 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण होकर सरकारी शिक्षक बन चुके हैं। अब बहुत कम नियोजित शिक्षक शेष बचे हैं तथा उनके लिए भी परीक्षा आयोजित की जा रही है।

नई सरकार के बनने के बाद से ही राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए इसमें व्यापक सुधार किया गया है। 24 नवम्बर, 2005 को नई सरकार बनने से पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपचार कराने वाले रोगियों की संख्या प्रतिमाह मात्र 39 थी जो अब बढ़कर प्रतिमाह 11 हजार से भी अधिक हो गई है। राज्य में बहुत पहले से ही केवल 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल थे, जबकि आज 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कार्यरत हैं एवं 14 नये मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। इनमें से 8 में केन्द्र सरकार का भी सहयोग मिला है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी नये मेडिकल कॉलेज खोले जायेंगे। साथ ही पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेजों एवं **IGIMS** (Indira Gandhi Institute of Medical Sciences) को और बेहतर बनाया जा रहा है।

राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों तथा पुल–पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे में राजधानी पटना पहुँचने का लक्ष्य वर्ष 2016 में ही पूरा कर लिया गया है। अब इस लक्ष्य को 5 घंटे किया गया है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बड़े पैमाने पर नई सड़कों, पुल–पुलियों, आर०ओ०बी०, एलिवेटेड रोड एवं बाईपास का निर्माण तथा पुरानी सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इस लक्ष्य को भी शीघ्र ही प्राप्त कर लिया जायेगा।

सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। वर्ष 2013 से पुलिस में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण तथा वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।

पहले बिहार में स्वयं सहायता समूहों की संख्या काफी कम थी। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया जिसे "जीविका" नाम दिया गया। अब स्वयं सहायता समूहों की संख्या 10 लाख 63 हजार हो गयी है जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 31 लाख से भी अधिक है। अब शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूहों का गठन हो रहा है जिनकी संख्या 34 हजार हो गयी है तथा इनमें 3 लाख 60 हजार से भी अधिक जीविका दीदियाँ हैं। यह काम तेजी से जारी है।

सरकार ने शुरू से ही वंचित वर्गों के लोगों के लिए काम किया तथा इन्हें मुख्यधारा में जोड़ने के लिए विशेष योजनाएँ चलाई गयीं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी तथा बड़ी संख्या में आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों का निर्माण कराया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018 से अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना तथा वर्ष 2018 से ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने तथा कमजोर वर्गों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लागू की गयी है। नवम्बर 2023 से इसका

विस्तार करते हुये प्रखण्डों एवं सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना लागू की गयी है।

इसी तरह राज्य सरकार द्वारा शुरू से ही अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काफी काम किया गया। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र–छात्राओं के लिए विद्यालय एवं छात्रावास, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग तथा छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं संचालित हैं। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए वर्ष 2006–07 से ही आर्थिक सहायता दी जा रही है। वर्ष 2018 से सहायता राशि को 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया है। मुस्लिम समुदाय के मदरसों को सरकारी मान्यता दी गयी है एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। पटना में अंजुमन इस्लामिया भवन का भव्य एवं आकर्षक रूप से पुनर्निर्माण कराया गया है।

वर्ष 2008 से ही राज्य में कृषि रोड मैप बनाकर कृषि विकास कार्यक्रम चलाये गये, जिससे फसलों, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई। राज्य में धान, गेहूँ एवं मक्का की उत्पादकता पहले के मुकाबले लगभग दोगुनी हो गयी है। साथ ही दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन में काफी वृद्धि हुयी है। मछली का उत्पादन ढाई गुने से भी अधिक हो गया है, जिससे मछली के उत्पादन में बिहार लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है, जिसमें कृषि क्षेत्र के विकास हेतु लगभग 1 लाख 62 हजार 268 करोड़ रुपये की योजनाओं की स्वीकृति दी गयी है। साथ ही किसानों की सुविधा के लिए राज्य के 21 बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण एवं विकास के लिए कुल 1 हजार 289 करोड़ रूपये की लागत से योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015 में विकसित बिहार के **7 निश्चय** कार्यक्रम लागू किये गये। हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली–नाली, हर घर में शौचालय तथा टोलों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने का काम वर्ष 2020 में ही पूरा हो गया है। यह देखा गया है कि कुछ क्षेत्रों में नई बसावटें एवं घर बन गये हैं इसलिए इन नई बसावटों एवं छूटे हुए नये घरों में इन कामों को मार्च, 2025 तक पूरा करा दिया जायेगा।

वर्ष 2020 से **सात निश्चय–2** के तहत योजनाओं का क्रियान्वयन जारी है। **प्रथम निश्चय– ''युवा शक्ति–बिहार की प्रगति''** के तहत राज्य के 149 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित किये गये हैं। राज्य में अभियंत्रण विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। इन विश्वविद्यालयों में छात्राओं के लिये न्यूनतम एक तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

राज्य में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा उनमें उद्यमिता विकास को प्रोत्साहन देने के लिये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना प्रारंभ की गयी। इसके अंतर्गत वर्ष 2018 से मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना तथा वर्ष 2020 से मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना प्रारंभ की गयी। इसके

बाद वर्ष 2021 में सात निश्चय–2 के तहत सभी वर्गों की महिलाओं के लिये मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना तथा अन्य वर्गों (सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग) के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लागू की गयी। सितम्बर, 2023 से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना भी प्रारंभ की गयी है। इन सभी योजनाओं में कुल मिलाकर अब तक 39 हजार 819 उद्यमियों को 2 हजार 918 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध करायी गयी है। उद्योगों के विकास के लिए सरकार के प्रयासों से हजारों लोगों को रोजगार के नये अवसर मिल रहे हैं।

दूसरे निश्चय "सशक्त महिला, सक्षम महिला" के अन्तर्गत उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इन्टर पास करने पर 25 हजार रूपये तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर 50 हजार रुपये की राशि दी जा रही है। **तीसरे निश्चय "हर खेत तक सिंचाई का पानी"** के अंतर्गत 5 विभागों –जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग और वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा तेजी से काम किया जा रहा है। इस काम को जून, 2025 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है। **चौथे निश्चय "स्वच्छ गाँव, समृद्ध गाँव"** के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने का काम चल रहा है। अनेक वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाईट का काम पूरा हो गया है और अगस्त, 2025 तक सभी वार्डों में काम पूरा करा दिया जायेगा। **पाँचवें निश्चय "स्वच्छ शहर–विकसित शहर"** के अन्तर्गत विभिन्न नगर निकायों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा मोक्षधाम योजना के अन्तर्गत जिला मुख्यालयों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों के आसपास शवदाह गृहों का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही शहरों में जल निकासी के लिए स्टॉर्म ड्रेनेज की व्यवस्था पर तेजी से काम किया जा रहा है।

छठे निश्चय "सुलभ संपर्कता" के तहत जाम की समस्या से मुक्ति एवं सुचारू यातायात के लिए शहरों एवं घनी आबादी वाले इलाकों में बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाँवों को महत्वपूर्ण स्थानों यथा–प्रखण्ड मुख्यालय, थाना, अस्पताल एवं महत्वपूर्ण बाजार आदि से सम्पर्कता प्रदान करने के लिए ग्रामीण पथों के निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। **सातवें निश्चय "सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा"** के तहत फरवरी, 2021 से गाँवों के स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में टेलीमेडिसिन की सुविधा दी गई है जिससे लोगों को दूर स्थित अस्पतालों में नहीं जाना पड़ता है। इससे बुजुर्ग एवं निःशक्त लोगों तथा महिलाओं को विशेष रूप से काफी सुविधा हुई है। अब तक 2 करोड़ से भी अधिक लोगों ने इसका लाभ लिया है। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के निःशुल्क उपचार हेतु सात निश्चय–2 के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 2021 से **"बाल हृदय योजना"** लागू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1 हजार 827 बच्चों का सफल ईलाज किया गया है।

शुरू से ही सरकार का प्रयास है कि युवाओं को ज्यादा–से–ज्यादा नौकरी एवं रोजगार के अवसर मिलें। वर्ष 2020 से सात निश्चय–2 के तहत 10 लाख सरकारी नौकरी एवं 10 लाख रोजगार देने का निश्चय किया गया। सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। अब तक 9 लाख 35 हजार से अधिक युवाओं को

सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। शेष पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है। अब राज्य सरकार ने तय किया है कि इस वर्ष चुनावों की घोषणा के पहले ही युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जायेगी। जहाँ तक रोजगार की बात है अबतक 10 लाख की जगह 24 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया है तथा चुनावों की घोषणा के पहले ही 34 लाख लोगों को रोजगार मिल जायेगा।

राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में जाति आधारित गणना करायी जिसमें लोगों की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ली गयी है। जाति आधारित गणना में 94 लाख गरीब परिवार पाये गये हैं जिनमें सभी वर्गों यथा अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित एवं महादलित तथा मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हैं। इन परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु बिहार लघु उद्यमी योजना प्रारंभ की गयी है जिसके अंतर्गत इन परिवारों को 2 लाख रूपये की दर से सहायता देने की शुरूआत हो चुकी है।

1 फरवरी, 2025 को केन्द्र सरकार द्वारा संसद में बजट प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में बिहार राज्य के विकास में सहयोग के लिए कई घोषणायें की गयी हैं। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, बिहार में नये हवाई अड्डों का निर्माण, मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए आर्थिक सहायता, पटना आई०आई०टी० का विस्तार तथा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की घोषणाओं से बिहार राज्य के विकास में सहायता मिलेगी। इसके पहले भी 23 जुलाई, 2024 को केन्द्र सरकार के गठन के पश्चात् पेश किये गये बजट में बिहार के लिए विशेष आर्थिक मदद की घोषणा की गयी थी। इसमें बिहार की सड़क परियोजनाओं, विद्युत परियोजनाओं, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, खेल–कूद के विकास तथा पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए विशेष सहायता की घोषणा की गयी थी। साथ ही बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए तथा कोशी–मेची नदी जोड़ परियोजना एवं अन्य सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी मदद देने की घोषणा की गयी थी। बिहार के विकास में सहायता के लिए केन्द्र सरकार को धन्यवाद।

मेरे द्वारा संक्षेप में आपके समक्ष रखी गयी सरकार की उपलब्धियों एवं कार्यक्रमों से स्पष्ट है कि सरकार न्याय के साथ विकास के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के उत्थान के लिए सतत् प्रयत्नशील है। मुझे विश्वास है कि वर्तमान सत्र में वित्तीय एवं विधायी कार्यों के साथ–साथ राज्य के सर्वांगीण विकास के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी जो राज्य के विकास में सहायक होगी। मुझे भरोसा है कि सभी सदस्य जिम्मेवारी के साथ सत्र के संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुझे धैर्य से एवं ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद।

जय हिन्द।

सभा सचिव : महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण समाप्त हुआ ।

(राष्ट्रधुन)

(इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल महोदय को विदा करने माननीय अध्यक्ष महोदय साथ गये)

टर्न–2/हेमन्त/28.02.2025

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ की जाती है ।

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, आपने अपने संबोधन में कहा कि नियम, कानून और आपका सहयोग चाहिए ।

अध्यक्ष : बोलने तो दीजिए पहले ।

दो आदमी कैसे खड़े हो गये एक साथ ?

श्री भाई वीरेन्द्र : जब हमारे दल के यानी राष्ट्रीय जनता दल के लोग बीजेपी के कुर्सी पर बैठे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ बैठे हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठिये न, बताते हैं । बैठिये ।

सभी लोग अपनी–अपनी निर्धारित सीट पर बैठें ।

(व्यवधान)

अध्यासी सदस्यों का मनोनयन

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदस्यगण, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–12(1) के अधीन मैं निम्न सदस्यों को सप्तदश बिहार विधान सभा के चतुर्दश सत्र के लिए अध्यासी सदस्य मनोनीत करता हूँ :

(व्यवधान जारी)

हो गया बैठ जाइये । आप सुनते नहीं न हैं किसी की बात । पहले बैठ जाइये, बैठिये।

सभी माननीय सदस्य अपनी निर्धारित सीट पर ही बैठने का कष्ट करें ।

(व्यवधान जारी)

1. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, स0वि0स0
2. श्री दामोदर रावत, स0वि0स0
3. श्री विजय शंकर दूबे, स0वि0स0

4. श्री भूदेव चौधरी, स0वि0स0
5. श्रीमती ज्योति देवी, स0वि0स0

कार्य मंत्रणा समिति का गठन

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–219(1) के अधीन मैं सप्तदश बिहार विधान सभा के चतुर्दश सत्र के लिए कार्य–मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार करता हूँ :

1. अध्यक्ष, बिहार विधान सभा	सभापति
2. श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री	सदस्य
3. श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री	सदस्य
4. श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री	सदस्य
5. श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री, संसदीय कार्य	सदस्य

(व्यवधान जारी)

आपका भी कर्तव्य बनता है कि जब अध्यक्ष बोलें तो नहीं बोलिये । बैठिये । यह तरीका नहीं है, आपने अपनी बात कह दी, मैंने नियमन दिया । बैठिये। यह तरीका नहीं है कि जो मन में आये बोलते रहियेगा ।

(व्यवधान जारी)

6. श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री, ऊर्जा	सदस्य
7. श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता, विरोधी दल	सदस्य
8. श्री शकील अहमद खाँ, स0वि0स0	सदस्य

विशेष आमंत्रित सदस्य

1. श्री नरेन्द्र नारायण यादव, उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा
2. श्री आलोक कुमार मेहता, स0वि0स0
3. श्री महबूब आलम, स0वि0स0
4. श्री राम रतन सिंह, स0वि0स0
5. श्री अजय कुमार, स0वि0स0
6. श्रीमती ज्योति देवी, स0वि0स0

नियमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे ।

(व्यवधान जारी)

नियम–कानून मैं भी जानता हूं, आपसे कम नहीं जानता हूं, लेकिन आप नियम का पालन करिये । मर्यादा में रहिये ।

अध्यक्ष : सभा सचिव ।

सभा सचिव : महोदय, सप्तदश बिहार विधान सभा के त्रयोदश सत्र में उद्भूत तथा...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आसन पर आक्षेप मत करिये ।आसन पर आक्षेप नहीं करिये बता देता हूं आपको। बैठ जाइये, बहुत हो गया आपका । यह क्या तरीका है ? आपकी कोई बात नहीं सुनी जायेगी ।

(व्यवधान जारी)

सभा सचिव : बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित निम्न 05 (पांच) विधेयकों का विवरण सदन पटल पर रखती हूं जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनच्छेद–200 के तहत अनुमति प्रदान की गयी है :–

क्रमांक	विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि
1.	बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2024	07.12.2024
2.	बिहार खेल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024	07.12.2024
3.	बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024	07.12.2024
4.	बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक, 2024	10.12.2024
5.	बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली (संशोधन) विधेयक, 2024	14.12.2024

(व्यवधान जारी)

<u>आर्थिक सर्वेक्षण का प्रस्तुतीकरण</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम–2006 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति सभा मेज पर रखता हूं ।

शोक प्रकाश

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कतिपय जननायकों के निधन की सूचना मिली है, जिनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा कर्तव्य है ।

स्वर्गीय गणेश पासवान

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री गणेश पासवान का निधन दिनांक 01 दिसंबर, 2024 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 79 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय पासवान भागलपुर जिला के सुल्तानगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2000 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे मिलनसार व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय मनोरमा सिंह

बिहार की पूर्व सांसद श्रीमती मनोरमा सिंह का निधन दिनांक 08 दिसंबर, 2024 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 86 वर्ष की थी।

स्वर्गीय सिंह बिहार के बांका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1984 में लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई थीं । वे एक कर्तव्यनिष्ठ महिला थीं । हम उनके निधन से दुखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय बैरागी उरांव

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री बैरागी उरांव का निधन दिनांक 15 दिसंबर, 2024 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 81 वर्ष की थी।

स्वर्गीय उरांव संयुक्त बिहार के गुमला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1972, 1980 एवं 1985 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । उनका सरल व्यक्तित्व सदैव स्मरणीय रहेगा । हम उनके निधन से दुखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

<u>स्वर्गीय कृष्णानंद झा</u>

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री कृष्णानंद झा का निधन दिनांक 15 दिसंबर, 2024 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 78 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय झा संयुक्त बिहार के मधुपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980, 1985 एवं 1990 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे । वे एक कुशल राजनेता एवं समाजसेवी थे । हम उनके निधन से दुखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

<u>स्वर्गीय विशुन देव राय</u>

बिहार विधान परिषद् के पूर्व सदस्य श्री विशुन देव राय का निधन दिनांक 10 जनवरी, 2025 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 74 वर्ष की थी।

स्वर्गीय राय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उपनिर्वाचन से वर्ष 2000 में बिहार विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

<u>स्वर्गीय प्रमोद कुमार सिंह</u>

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री प्रमोद कुमार सिंह का निधन दिनांक 21 जनवरी, 2025 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 73 वर्ष की थी।

स्वर्गीय सिंह कैमूर जिला के भभुआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2000, मार्च 2005 एवं 2010 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । उनका सरल व्यक्तित्व, अनुकरणीय कर्तव्यनिष्ठा और समाज के प्रति उनकी सेवा सदैव स्मरणीय रहेंगी । हम उनके निधन से दुखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री विश्वनाथ सिंह का निधन दिनांक 31 जनवरी, 2025 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 86 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय सिंह कटिहार जिला के मनिहारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र वर्ष 1990, 2000 एवं 2006 के उपचुनाव में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

टर्न–3 / धिरेन्द्र / 28.02.2025

स्वर्गीय तेज नारायण यादव

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री तेज नारायण यादव का निधन दिनांक 02 फरवरी, 2025 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 86 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय यादव दरभंगा जिला के बहेड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1969, 1972 एवं 1977 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे । वे एक कुशल राजनेता एवं समाजसेवी थे। हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल

बिहार विधान परिषद् के पूर्व सदस्य श्री कामेश्वर चौपाल का निधन दिनांक 06 फरवरी, 2025 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 69 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय चौपाल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2002 एवं 2008 में बिहार विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे मिलनसार, मृदुभाषी एवं धर्मपरायण व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय मिथलेश प्रसाद यादव

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री मिथलेश प्रसाद यादव का निधन दिनांक 21 फरवरी, 2025 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 74 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय यादव मुजफ्फरपुर जिला के पारू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1995, 2000 एवं मार्च, 2005 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे लोकप्रिय एवं जनता के प्रति समर्पित व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

अध्यक्ष : अब हमलोग एक मिनट तक मौन खड़े होकर सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें ।

(एक मिनट का मौन)

मैं अपनी तथा संपूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भिजवा दूंगा ।

अब सभा की बैठक सोमवार दिनांक 03 मार्च, 2025 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।